

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 अगस्त 2015—भाद्र 3, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. डी-15-35-2007-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज को छतरपुर जिले की नौगांव तहसील के समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय का विनियमन करने के लिये नौगांव में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. डी-15-35-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 25 अगस्त 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 25th August 2015

No. D-15-35-2015-XIV-3.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, declares its intention to establish a market Navgaon for the purpose of the "Act" for regulating the purchase and sale of Agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act in Revenue and Forest villages of the area of Tehsil Navgaon in Chhatarpur district.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. डी-15-35-2007-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 नवम्बर 1956 द्वारा जिला छतरपुर की हरपालपुर एवं नौगांव तहसील के मंडी क्षेत्र हरपालपुर में (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त मंडी क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, उक्त मण्डी क्षेत्र में से छतरपुर जिले की नौगांव तहसील के नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित 90 ग्राम जो जिला छतरपुर की तहसील हरपालपुर में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में उक्त क्षेत्र को विपाटित करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा :—

अनुसूची

1. गरौली, 2. चौबारा, 3. मड़रखा, 4. भदेसर, 5. दोनी, 6. महतौल, 7. नोगुआ, 8. बिलहरी, 9. तिदनी, 10. मऊ, 11. सहनियां,
12. नयागांव, 13. सिंगरावनकला, 14. सिंगरावनखुर्द, 15. मानपुरा, 16. खुर्दा, 17. लुगासी, 18. झीझन, 19. बरट, 20. सरदारपुर, 21. नौगांव,
22. गुरसारी, 23. सिंदुरखी, 24. नुना, 25. पड़वाहा, 26. गौर, 27. कुराहा, 28. उजरा, 29. गढ़ी, 30. मलेहरा, 31. वेदार, 32. उर्दमउ,
33. मलका, 34. खिरी, 35. मटोधबेसन, 36. मटोधाचोबन, 37. खिरवा, 38. गौरारी, 39. महाराजपुर, 40. दिलनिया, 41. मऊ, 42. सैला,
43. पुर, 44. मनकारी, 45. बिकौरा, 46. बुड़रख, 47. गुदारा, 48. ढिगपुरा, 49. बरौही, 50. टटम, 51. मुखर्दा, 52. सिंहपुर, 53. पचवारा,
54. कुदौल, 55. मचा, 56. पाली, 57. मड़ियनहार, 58. पिपरी, 59. धरमपुरा, 60. ठठेवरा, 61. सिमरधा, 62. वीरपुरा, 63. शिकारपुरा, 64.
- सिजरिया, 65. मुड़वारा, 66. कुलवारा, 67. पन्नपुरा, 68. सड़ेरी, 69. खखरीवीरपुरा, 70. चौखड़ा, 71. लहर, 72. नीमखेड़ा, 73. धीरजपुरा,
74. हीरापुर, 75. इमिलिया, 76. इमलाही, 77. मुहारी, 78. भिरोटा, 79. गौरारी, 80. सुड़ाहार, 81. कुसमा, 82. झिकमउ 83. नटुआ, 84.
- खिरवा, 85. पुतरी, 86. नाथपुर, 87. सियाला, 88. फुलारी, 89. बरद्दाहाकला, 90. मदारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. डी-15-35-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 25 अगस्त 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 25th August 2015

No. D-15-35-2015-XIV-3.—WHEREAS, by the Department Notification even dated 29th November 1956 issued under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Bhasrat Agricultural Produce Market Act in the area of District Chhatarpur in Tehsil Harpalpur and Navgaon (herein after referred to as the "said market area").

AND WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the "said market area" by split up here with the area comprising of 90 villages situated in the following list of Tehsil Navgaon of Chhatarpur District (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by the said market area by splitting up as per the "said area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture, Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government :-

LIST

1. Garroli, 2. Choubara, 3. Madarkha, 4. Bhadesar, 5. Doni, 6. Mehtool, 7. Negua, 8. Bilahari, 9. Tidni, 10. Maou, 11. Sahniya, 12. Nayagaon, 13. Singravankala, 14. Singravankhurd, 15. Manpura, 16. Khurda, 17. Lugasi, 18. Jheejan, 19. Barat, 20. Sardarpur, 21. Navgaon, 22. Gursari, 23. Sindurkhi, 24. Nuna, 25. Padwaha, 26. Gour, 27. Kurraha, 28. Ujra, 29. Gadhi, 30. Malehra, 31. Vedar, 32. Urdmou, 33. Malka, 34. Khiri, 35. Matodhbesar, 36. Mattodhachouban, 37. Khirva Gourari, 39. Mahrajpur, 40. Dilaniya, 41. Mou, 42. Saila, 43. Pur, 44. Mankari, 45. Bikaura, 46. Brdrakh, 47. Gudara, 48. Dhigpura, 49. Barauhi, 50. Tatam, 51. Mukharra, 52. Shinghpur, 53. Pachawara, 54. Kudoul, 55. Macha, 56. Paali, 57. Madiyanhar, 58. Pipri, 59. Dharampura, 60. Tathavra, 61. Simardha, 62. Veerpura, 63. Sikarpura, 64. Sijariyapura, 65. Mudawara, 66. Kurwara, 67. Pannpura, 68. Saderi, 69. Khakhriveerpura, 70. Choukhada, 71. Laher, 72. Neemkheda, 73. Dhirajpura, 74. Heerapur, 75. Imiliya, 76. Imlahi, 77. Muhari, 78. Bhirota, 79. Gourari, 80. Shudahar, 81. Kusma, 82. Jhikmou, 83. Natua, 84. Khirva, 85. Putri, 86. Nathpur, 87. Siyala, 88. Phulari, 89. Bardwahakala, 90. Madari.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.